कार्यालय पुलिस आयुक्त, पुलिस कमिश्नरेट, वाराणसी।

प्रेस नोट

दिनांक- 02-07-2024

विषय:- आईजीआरएस पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर दो चौकी प्रभारियों के विरूद्ध की गई निलम्बन की कार्यवाही ।

पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी श्री मोहित अग्रवाल द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा गई। शासन स्तर से आईजीआरएस पोर्टल पर दर्ज होने वाली शिकायतो के समयबद्ध निस्तारण हेतु 15 दिवस की समय सीमा तय की गई है । पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा शिकायतो के निस्तारण हेतु 10 दिवस का समय निर्धारित किया गया है। जिससे उच्चाधिकारियो द्वारा शिकायत के निस्तारण की गुणवत्ता की जांच की जा सके व शिकायतकर्ता से फीडबैक भी प्राप्त किया जा सके। उक्त समीक्षा के दौरान पुलिस आयुक्त द्वारा यह पाया गया कि **(1) उ0नि0 जय प्रकाश सिंह चौकी प्रभारी भीटी थाना रामनगर (2) उ0नि0 नवीन चतुर्वेदी चौकी प्रभारी मच्छोदरी थाना आदमपुर कमिश्नरेट वाराणसी** के द्वारा आईजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त जनशिकायतो का समयबद्ध निस्तारण न कर अनावश्यक रुप से लंबित रखा गया। जनता की शिकायतो के निस्तारण मे रुचि न रखने एवं शासन द्वारा निर्गत निर्देशो का सम्यक अनुपालन न करते हुये इनके द्वारा लापरवाही बरती गयी। **पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा इनके विरुद्ध निलंबन की कार्यवाही करते हुये बर्खास्तगी की कार्यवाही की जा रही है।**

पुलिस आयुक्त द्वारा अन्य थानाध्यक्ष/उप निरीक्षकगण को कड़े निर्देश दिये गये है कि जनता से प्राप्त प्रार्थना पत्रो पर समयबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्वक कार्यवाही न करने वाले दरोगाओ को विभाग से बाहर का रास्ता दिखाया जायेगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस आयुक्त,
वाराणसी।